**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ**

**पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस**

अपील संख्या – 28/2014/223 आर टी ए

फुलांदेवी पुत्री भागसिंह जाति सिकलीगर निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटा

**बनाम**

1. जोरासिंह पुत्र भागसिंह जाति सिकलीगर निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. किस्मतकौर पत्नि चेतसिंह जाति सिकलीगर निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. शकीना कौर पत्नि भागसिंह जाति सिकलीगर निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 10.01.2014 न्यायालय सहायक कलैक्टर टिब्बी
प्रकरण संख्या 1046/2013 अनवानी जोरासिंह बनाम शकीना कौर आदि

उपस्थित :–

श्री श्रीमति शकुन्तला भाटीवाल अधिवक्ता अपीलाण्टा

श्री छगनलाल सिड़ाना अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 3

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4

निर्णय दिनांकः–04.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश कर वादग्रस्त भूमि जो कि अपीलांट के पिता भागसिंह सिंह के नाम से दर्ज थी तथा भागसिंह की मृत्यु हो चुकी है। जिसमे भागसिंह की की पत्नि यानि अपीलांट की माता व भागसिंह की बहन यानि अपीलांट बुआ को पक्षकार बनाकर घोषणा का अनुतोष चाहा गया। दावा प्रस्तुत होने की अगली तारीख पेशी पर राजीनामा प्रस्तुत कर डिक्री करवा ली, जबकि अपीलांटा जो भी भागसिंह की पुत्री है तथा भागसिंह के नाम दर्ज भूमि मे अपना हक व हिस्सा रखती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाकर वाद डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कतई गलत व विधि विरूद्ध व न्यायिक दृष्टांतो के विपरीत है। अधीनस्थ

न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपीलांट को उसके हक व हिस्सा से महरूम करने की गर्ज से मिली भगत कर राजीनामा के आधार पर पारित करवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पारित किये जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक भागसिंह के जायज व कानूनी वारिसान के संबंध मे समुचित रिपोर्ट अथवा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही होने के बावजूद पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वारिसान के संबंध मे किसी भी न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के अभाव मे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध रूप से पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। दावा मे वादीगण/ रेस्पो0 सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 1 (रेस्पो0 सं. 3) ने अपीलांटा का हक मारने की नियत से अपीलांटा को जानबूझकर दावा मे पक्षकार नही बनाया। क्योंकि अपीलांटा स्व. भागसिंह की पुत्री है तथा भागसिंह की मृत्यु दिनांक 23.11.2013 को हुई है उससे पहले संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 लागू हो चुका था जिसके अनुसार पुत्री अपने पिता के साथ पुश्तैनी जायदाद मे बहिस्सा बराबर की हकदार थी तथा वादग्रस्त भूमि स्व. भागसिंह को उसके पिता नवाबसिंह से मिली थी। इस कारण अपीलांटा अपने पिता की सम्पति मे बहिस्सा बराबर की हकदार थी। जबकि वादग्रस्त भूमि मे अपने पिता के साथ अपीलांटा का हक निहित था तथा अपने पिता के साथ सहखातेदार थी। इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार है। जद्दी जायदाद मे पुत्री को पक्षकार न बनाया जाकर घोषणा का वाद डिक्री करवाया गया है जबकि संशोधित उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार पुत्रीयों का जद्दी मे बहिस्सा बराबर का हक है तथा अपीलांटा भी जद्दी जायदाद मे अपना हक प्राप्त करने की अधिकारिणी थी तथा अपीलांटा को पक्षकार बनाया जाकर संशोधित उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जवाबदेही व साक्ष्य का मौका देते हुए पुनः प्रकरण का निस्तारण विधिवत होना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 3 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री पक्षकारान की सहमति/राजीनामा रेस्पो सं. 1 व 2 के पक्ष मे पारित हुई है। वादग्रस्त भूमि भागसिंह के नाम से दर्ज थी तथा घरूबंटवारा मे वादीगण/रेस्पो0 स. 1 व 2 को भूमि दी हुई

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

थी जिसमे अपीलांटा का कोई हक व हिस्सा वादग्रस्त भूमि मे नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत होने के उपरांत प्रतिवादी/रेस्पो0 सं. 3 व रेस्पो0 सं. 1 व 2 के मध्य राजीनामा हो गया तथा जिसमे प्रतिवादी सं. 1 जो भागसिंह की पत्नि है जिन्होने वादग्रस्त भूमि के संबंध मे हुये घरूबंटवारा को स्वीकार किया है तथा घरूबंटवारा मे वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 व 2/वादीगण को प्राप्त होना भी स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं. 1 व 2 का वादपत्र राजीनामा के आधार पर विधिनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज होने से खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांटा के पिता स्व. भागसिंह के नाम दर्ज थी तथा रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने रेस्पो0 सं. 3 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत स्व. भागसिंह के नाम दर्ज भूमि के संबंध मे घोषणा अनुतोष चाहा गया जिसमे रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अपीलांटा जो कि भागसिंह की पुत्री है, को पक्षकार बनाये बिना ही घोषणा की डिक्री पारित करवाई है। जबकि वादग्रस्त भूमि जद्दी जायदाद है जो स्व. भागसिंह को अपने पिता नवाबसिंह से प्राप्त हुई थी जिसमे अपीलांटा का हक हिस्सा निहित था तथा दावा मे आवश्यक पक्षकार थी जिसे पक्षकार बनाये जाकर साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर घोषणा के वाद का निस्तारण किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद मे अपीलांटा को पक्षकार नही बनाया गया जिससे अपीलांटा को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हो सका तथा वादी सं. 2/रेस्पो0 सं. 2 जो कि स्व. भागसिंह की बहन है, का कोई हक व हिस्सा नही होने के बावजूद भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वादी/रेस्पो0 सं. 2 को भूमि दी गई है जबकि वादग्रस्त भूमि स्व. भागसिंह के नाम से दर्ज है जिसमे मात्र स्व. भागसिंह के जायज एवं कानूनी वारिसान का हक व हिस्सा है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय त्रुटि प्रतीत होने के कारण

अपील अपीलांटा स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.01.2014 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटा को प्रकरण मे पक्षकार के रूप से संयोजित किया जाकर साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए स्व. भागसिंह के जायज एवं कानूनी वारिसान की जांच करते हुए वारिसान के संबंध मे संतुष्टि करते हुए पुनः नये सिरे विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official